संख्या- 42/1316/बयालिस-2015-44(बजट)/2013टी0सी0

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 जून, 2015**

विषय :- **जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 167/नि0 खे0का0पत्रा0/2013-14/2015-16, दिनांक 28 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत में स्टेडियम के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 656/बयालिस-2014-44 (बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रू0 141.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 71.00 लाख स्वीकृत किया गया था एवं शासनादेश संख्या- 908/बयालिस-2014-44 (बजट)/2013, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा 36.14 लाख पी0एल0ए0 में जमा किया गया था शासनादेश संख्या- 18/567/बयालिस-2015-44(बजट)/2013, दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा उक्त धनराशि रू0 36.14 लाख के आहरण की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अत: उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण इकाई को रू0 107.14 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत में स्टेडियम के निर्माण हेतु निर्माण हेतु कतिपय नये कार्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया, पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षित लागत रू0 487.77 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं मूल प्रशासकीय स्वीकृति स्वीकृत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 107.14 लाख को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष- 2015-16 में खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलाप मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ में से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 380.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पैकफेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य मदों मे किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय एवं व्ययवर्तन वित्तीय अनियमित्ता मानी जायेगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाक घर आदि में नहीं रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

(5)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(6)- प्रायोजना अन्तर्गत मिट्टी भराई मद में रू0 3.92 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। परन्तु इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 0.50 लाख की मिट्टी भराई अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की जाये। तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा मिट्टी भराई पर होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्ण में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)- शासनादेश संख्या- 656/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 में उल्लिखित शर्तें आदि यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पुँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87-खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 42/1316(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बागपत।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, मेरठ।
6- क्रीड़ाधिकारी, बागपत।
7- प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in